न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/5580/2004/जैसलमेर

1. भंवरसिंह
2. नारायणसिंह
3. गेमदासिंह
4. मूलसिंह पुत्रगण इन्द्रसिंह
5. श्रीमती मूलीकंवर पत्नी इन्द्रसिंह
6. श्रीमती मककंवर पत्नी इन्द्रसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम भीखासर पूर्व गांव सांवता तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, जैसलमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैसलमेर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री राकेश कुमार जयसवाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री राजेन्द्रप्रसाद मीणा, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 10.06.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर द्वारा

पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-06-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के न्यायालय में एक वाद प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वादपत्र की मद संख्या-2 व 3 में वर्णित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त विवादित आराजी अपीलार्थी के पूर्वज इन्द्रसिंह की खातेदारी की भूमि थी किन्तु वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ग्राम भीखासर स्थित खसरा नम्बर 456 में से 600बीघा भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः वादीगण को उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित चार विवाद्यक कायम किये। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10-03-2003 से वाद वादीगण खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण अपीलार्थीगण की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-06-2004 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर यह अपील वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2032 तक अपीलार्थीगण के पूर्वज इन्द्रसिंह के खाते 1331बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज थी, भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आदेश के 600बीघा भूमि अपीलार्थीगण के खाते से कम कर सिवायचक दर्ज कर दी, जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि खसरा नम्बर 456 रकबा 967बीघा 05बिस्वा में से 357बीघा05बिस्वा भूमि सीलिंग में अधिग्रहण हुई एवं शेष 600बीघा भूमि अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में थी, जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश से सिवाय चक दर्ज कर दिया। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण अपीलार्थीगण ने अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से उक्त बिन्दू को प्रमाणित कराया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अपील को खारिज कर दिया, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर वादीगण अपीलाथीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को डिक्री खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

5. योग्य उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विवेचन एवं विशलेषण करते हुए वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अपील को विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक

अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के न्यायालय में एक वाद प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वादपत्र की मद संख्या–2 व 3 में वर्णित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त विवादित आराजी अपीलार्थी के पूर्वज इन्द्रसिंह की खातेदारी की भूमि थी किन्तु वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ग्राम भीखासर स्थित खसरा नम्बर 456 में से 600बीघा भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः वादीगण को उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में कायम की गयी मुख्य तनकी संख्या–1 व 2 के निर्णय में विवादित 600बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होना मानते हुए उक्त तनकी को वादीगण के विरूद्ध निर्णीत करते हुए वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को खारिज कर दिया। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समरी सेटलमैन्ट (अन्दाजिया भू–प्रबन्ध) में वादीगण अपीलार्थीगण के

पूर्वज इन्द्रसिंह के नाम 879.15बीघा भूमि दर्ज थी। पुख्ता बन्दोबस्त सम्वत् 2021 में कुल भूमि 1331.19बीघा दर्शायी गयी, जिसे सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने सही करने के उद्धेश्य से 600बीघा भूमि कम की जाकर अपीलार्थीगण के खाते कुल भूमि 731.19बीघा भूमि दर्ज रही। इस प्रकार केवल 147.16बीघा भूमि कम हुई। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1971 में सीलिंग कार्यवाही के दौरान भी वादीगण के पूर्वज की खसरा नम्बर 456 में से सम्पूर्ण 357.05बीघा एवं 87.10बीघा भूमि अवाप्त हुई। इस प्रकार 30 वर्ष तक वादीगण के पूर्वज इन्द्रसिंह ने जानकारी होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी। राज्य में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि धारण का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। सीलिंग में अवाप्त होने के बाद भी वादीगण के पूर्वज इन्द्राज के धारण में वर्ष 1977 में 274.10बीघा भूमि रही, जो सीलिंग कानून के अनुरूप थी। अब वादीगण को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि दावे में माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-07-2004 एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10-03-2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(राकेश कुमार जयसवाल)
सदस्य